ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

भाग-एक

1. **प्रस्तावना**

{क} ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पीति के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री दिनेश कुमार	01-04-22 से 31-03-24

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राजीव कुमार	01-04-22 से 21-06-22
2.	श्री रूप सिंह	22-06-22 से 31-03-24

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ के अवधि "01-04-2022 से 31-03-2024" के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {₹ लाखों में}
1.	4.2	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के	0.95

		कारण अन्तशेष में लाख का अन्तर पाया	
2.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	51.24
3.	6	प्रियासॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में अंतर पाया जाना	34.71
4.	7	गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.82
5.	10 (क)	आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के अधिक भुगतान होना	0.25
6.	10 (ख)	संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0 की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करने बारे	0.07
7.	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	2.77
8.	13	गणना त्रुटि के कारण आपूर्तिकर्ता को अधिक व अनियमित भुगतान करने बारे	0.16

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

प्राय: यह भी देखने में आया है कि गत लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जो अत्यंत चिंताजनक है। अतः ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्नलिखित दर्शायी गई है।

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि "04/2013 से 03/2016" तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1	पैरा 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क की पुष्टि उपरांत
2	पैरा (4.1)	अनिर्णीत	

3	पैरा 5	अनिर्णीत	
4	पैरा 6	अनिर्णीत	
5	पैरा 7	अनिर्णीत	
6	पैरा 7.1	अनिर्णीत	
7	पैरा 7.2	अनिर्णीत	
8	पैरा 8	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः पप्रारूपित
9	पैरा 9	अनिर्णीत	
10	पैरा 10	अनिर्णीत	
11	पैरा 11	अनिर्णीत	
12	पैरा 12	अनिर्णीत	
13	पैरा 13	अनिर्णीत	
14	पैरा 14	अनिर्णीत	

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पीति के अवधि "01/04/2022 से 31/03 /2024" तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 07.06.2024 से दिनांक 13.05.2024 के दौरान पंचायत कार्यालय, त्रिलोकीनाथ में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	02/23	11/22
2022-23	11/23	11/23

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न

होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पीति के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹8,000**/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 239 दिनांक 16.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} स्वः स्त्रोत:- ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	2238762.00	77156.00	2315918.00	63790.00	2252128.00
2023-24	2252128.00	72703.00	2324831.00	0.00	2324831.00

{ख} अनुदान:- ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	10733403.00	10082605.40	20816008.40	15556073.36	5259935.04
2023-24	5259935.04	5709252.40	10969187.44	5845127.40	5124060.04

{ग} दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1.	General/5TH FC	KCCB UDAIPUR	20007337109	2428871.00

2.	General/5TH FC	KCCB UDAIPUR	50069615844	609563.00
3.	General	SBI UDAIPUR	11464862487	45279.88
4.	General	KCCB UDAIPUR	50067116552	24503.00
5.	VKVNY	KCCB UDAIPUR	50059681013	95072.00
6.	SBM	KCCB UDAIPUR	50057952532	0.00
7.	CRF	KCCB UDAIPUR	50062218265	0.00
8.	MMAGY	KCCB UDAIPUR	50072819659	1384.00
9.	14TH FC	KCCB UDAIPUR	50064613466	867.04
10.	15THFC	PNB UDAIPUR	75000100011995	3102027.00
11.	SDRF/VKVNY/4515/DPO	KCCB UDAIPUR	50058408205	1181695.00
12.	VKVNY	KCCB UDAIPUR	50059091578	54222.00
5.			हस्तगत रोकड़	0.00
			कुल योग	**7543483.92**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31-03-24 को बैंक अनुसार अन्त शेष	7543483.92
दिनांक 31-03-24 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	7448891.04
अंतर	**94592.88**

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में ₹0.95 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान नहीं किया गया था,

जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31-03-24 को **₹94592.88** की राशि का अन्तर पाया गया । पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 296A दिनांक 12.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या GP TRILOKINATH 5 दिनांक 13.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सूचित किया गया कि आपके द्वारा जारी अधियाचना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बही व बैंक खातों में अंतर दर्शाया गया है, जिसे अब अन्तर का पता लगाकर व दुरुस्त करके लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाएगा।

अत: इस अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

5. अनुदान राशि ₹51.24 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है|

पंचायत द्वारा अनुदानों से सबंधित उपलब्ध करवाई गई सुचना **"परिशिष्ट-1"** के अनुसार दिनांक 31-03-24 तक अनुदान राशि ₹5124060.04 उपयोग हेतु शेष थी | जिससे

स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है |

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 297 दिनांक 13.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या GP TRILOKINATH 5 दिनांक 13.06.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा |

अत: जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्ति हो चुकी है उनके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके, उक्त राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतू व्यय करना सुनिश्चित किया जाये |

6. प्रियासॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में ₹34.71 लाख अंतर पाया जाना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E- Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है जिसका क्रियान्वन पंचायती राज विभाग हि. प्र. कर रहा है | इस योजना के क्रियान्वयन के साथ – साथ हि. प्र. पंचायती राज (समान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अंतर्गत e-panchayat में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण हस्तलिखित तथा प्रिया सॉफ्ट (Computerised) दोनों माध्यम से किया जा रहा तथा जो लेखे Priya Soft में बनाये जा रहें है वे बैंक खातों/हस्तलिखित रोकड़ बही खातों से मिलान नहीं खाते | परिणामस्वरूप ₹3471250.96 का अंतर पाया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(क) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति /व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक प्राप्ति /व्यय में अंतर (Except MNREGA)

क्रम स.	वर्ष	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	22-23	10011604.00	8000591.00	2011013.00	13321786.00	13460692.96	138906.96
2	23-24	4285708.00	4098629.00	187079.00	4407725.00	4161801.00	245924.00

(ख)प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए बैंक शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- (Except MNREGA)

वर्ष	प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष	बैंक पासबुक के अनुसार शेष + (CASH IN HAND)	अंतर
2023-24	10999789.88 + 14945 (cash in hand) = 11014734.88	7543483.92	3471250.96

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या% 298 दिनांक 12.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या GP TRILOKINATH 5 दिनांक 13.06.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा। अतः तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹1.82 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹100 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था प्राप्त सुचना के अनुसार ₹182875 की वसूली 31.03.24 को शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** व नीचे तालिका में दिया गया है:-

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	238	50	158825	11900	170725	0	170725
2023-24	243	50	170725	12150	182875	0	182875

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या% 297A दिनांक 12.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या GP TRILOKINATH 5 दिनांक 13.06.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र नियमित वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) विवाह रजिस्ट्रेशन फीस ₹0.01 लाख की वसूली न करना

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 4.10.16 के अन्तर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 200 प्रति रजिस्ट्रेशन तथा विलम्ब के लिए 400 अर्थात दोगुनी दर से रजिस्ट्रेशन फीस प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ द्वारा अवधि 01.04.22 से 31.03.2024 के दौरान विवाह रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में निम्न विवरणानुसार **₹2200** की वसूली नहीं की गई थी। जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	आवेदक का नाम	विवाह की तिथि	रजिस्ट्रेशन की तिथि	वसूली योग्य राशि
1.	आकाश सुपुत्र श्री रणधीर	06.06.2022	17.07.2022	400
2.	यशवंत सिंह सुपुत्र श्री	20.07.2022	02.08.2022	200

	रघुवीर सिंह			
3.	कमलेश सुपुत्र श्री लाल चंद	10.04.2023	02.05.2023	200
4.	संदीप सुपुत्र श्री किशन चंद	28.08.2023	01.09.2023	200
5.	अर्जुन सुपुत्र श्री देवी सिंह	04.09.2023	12.09.2023	200
6.	अनिल कुमार सुपुत्र श्री अमर लाल	06.11.2023	21.11.2023	200
7.	राकेश सुपुत्र श्री प्रेम सिंह	15.11.2020	20.10.2023	400
8.	मनोज सुपुत्र श्री भीम चंद	16.11.2023	09.01.2024	400
			कुल योग	**2200**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 298A दिनांक 12.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या GP TRILOKINATH 5 दिनांक 13.06.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण फीस की कम वसूली राशि को वसूल करके पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा,जिससे अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा ।

अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

8. दोहरी उपस्थिति के कारण अनियमित भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान मनरेगा के मस्ट्रोल में उपस्थित पंचायत सदस्यों की उपस्थिति की जाँच पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर के साथ करने पर पाया गया कि पंचायत सदस्यों की उपस्थिति सामान दिन में मनरेगा मस्ट्रोल व पंचायत बैठक दोनों में दर्ज की गयी है जो कि अनियमित है | उपरोक्त अनियमिता का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	मस्ट्रोल संख्या/अवधि	निर्माण कार्य का नाम	मस्ट्रोल में उपस्थिति की तिथि	पंचायत वैठक में उपस्थिति की तिथि	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि	मनरेगा की मजदूरी दर के रूप में भुगतान की गई राशि
1.	शाम लाल	.....754.... 16.06.2022 से 29.06.2022	Check wall at Trilokinath	22.06.2022	22.06.2022	266	300
2.	पिंकी देवी	....326.... 1.05.2022 से 14.05.2022	Check wall at Chhating	10.05.2022	10.05.2022	266	300
3.	पिंकी देवी	.....1211.... 08.10.2022 से 21.10.2022	Check wall at Chhating	08.10.2022	08.10.2022	266	300
4.	सुनीता	.....329.... 01.05.2022 से 14.05.2022	Land dav. Raju s/o dawa ram at Trilokinath	10.05.2022	10.05.2022	266	300
5.	पिंकी देवी	.....552.... 18.05.2022 से 31.05.2022	Land dav. Prithi chand Shiv ram at chhating	22.05.2022	22.05.2022	266	300
6.	बीर चंद	.....339.... 01.05.2022 से 14.05.2022	Land dav veer chand s/o nand ram at Trilokinath	10.05.2022	10.05.2022	266	300

7.	पिंकी देवी	.....95.... 05.04.2022 से 20.04.2022	Land dav. Devi singh s/o labh ram	14.04.2022	14.04.2022	266	300

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 299 दिनांक 13.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या GP TRILOKINATH 5 दिनांक 13.06.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड सदस्यों को दोहरा भुगतान किया गया था जिसे वसूल कर पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा व लेखा परीक्षा से अवगत करवाया जाएगा ।

अतः उपरोक्त अनियमित भुगतान की वसूली वस्तुस्थिति अनुसार यथोचित दर से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9. (क) राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी । इस योजना के अंतगर्त विभिन्न एप्लिकेशन है जिनमे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पीति (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों को दर्ज नहीं किया गया था। इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमे दर्ज नहीं किया गया था तथा पंचायत द्वारा केवल 12 कार्यो को ही दर्ज किया गया था उनकी भी लागत मूल्य एवं निर्माण अथवा प्राप्ति की तारीख दर्ज नहीं थी। ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2024) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में दर्ज नहीं किया था।

पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अंतगर्त दी गई एप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था । अतः यह स्पष्ट है की पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा । पंचायत द्वारा उपरोक्त एप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उलंघन ही नहीं बल्कि पंचायत सचिव की लापरवाही भी है जो की गंभीर अनियमितता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 295A दिनांक 12.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत तांदी, के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या GP TRILOKINATH 5 दिनांक 13.06.2024 को सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशा-निर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल संपत्तियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा ।

अतः कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वयन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान न करना :-

मनरेगा अधिनियम 2005 के पैरा 3.2(iii) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी का वितरण एक ही परिवार के अलग-अलग व्यस्क सदस्यों में किया जा सकता है । प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी को सरकार की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2017-18 से 120 दिन कर दिया गया है । उक्त अधिनियम के पैरा 6.4 के अंतर्गत लेबर बजट के लिए परियोजनाओ की शेल्फ तैयार की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा वार्षिक योजना तथा श्रम बजट का अनुमोदन किया जाएगा । ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परियोजनाओ की शेल्फ को पंचायत समिति एवं जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से करवाया जायेगा । अतः अनुमोदित परियोजनाओ का कार्यान्वन मनरेगा के तहद उपलब्ध जॉब कार्ड धारको द्वारा ही करवाया जायेगा । अभिलेखों की नमूना जाँच व ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पीति (हि०प्र०) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में पाया गया की ग्राम पंचायत में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान जॉब कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार दिवसों की संख्या से कम रोजगार दिवस उपलब्ध करवाए गए थे ।

उपरोक्त अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाए गए रोजगार दिवसों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य	शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर	जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजगार माँगा (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया (HH)	वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मेंडेस	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले कार्य दिवस	वर्ष से दौरान रोजगार प्रदान किये जाने में कमी
22-23	121	26	95	248	147	147	4937	18	5360	423
23-24	119	17	112	248	126	126	6043	06	5218	825

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है की ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर नहीं बनाये गए थे जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त जिन जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया गया था उन्हें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100/120 दिनों की कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित नहीं किया गया था जबकि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त वर्षों में पर्याप्त कार्यों को मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित करवाया था जिनमे से केवल आंशिक कार्य ही पुरे किये गए थे। अनुमोदित कार्यों में से किये गए/कार्यान्वित कार्यों की दर बहुत ही कम थी जिससे यह प्रतीत हुआ की पंचायत द्वारा शेल्फ में कार्यों को या तो काल्पनिक आधार पर अनुमोदित किया गया था या पंचायत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्वियन के प्रति गंभीर नहीं थे जोकि नियमो की अवहेलना ही नहीं वल्कि लापरवाही को भी दर्शाता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 296 दिनांक 13.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या GP TRILOKINATH 5 दिनांक 13.06.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि आपके द्वारा जारी अधियाचना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, जिसे अब भविष्य में जॉब कार्ड धारको को रोजगार प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों के कार्यदिवस हकदारी के अनुसार दिया जायेगा तथा शेल्फ में

अनुमोदित सभी कार्य किर्यान्वित किये जाएँगे। तथा भविष्य में जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर बनाए जायेंगे जिसकी अनुपालना करके लेखा परीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा ।

अतः कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. (क) आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹0.25 लाख का अधिक भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री रैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था । विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रॉयल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को **₹25386/-** का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण **परिशिष्ट "(ङ)"** व नीचे तालिका में दिया गया है :-

नाम	मात्रा (cum)	फैक्टर	कुल मात्रा	दर (प्रति टन)	राशि
रेत	45.49	1.62	73.69	80	5895
बजरी	33.75	1.52	51.30	80	4104
पत्थर	57.53	2.24	128.87	80	10310
कुल योग					**20309**
पेनल्टी 25%					**5077**
कुल योग					**25386/-**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या% 300A दिनांक 13.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या GP TRILOKINATH 5 दिनांक 13.06.2024 को सचिव, ग्राम

पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि आपके द्वारा जारी अधियाचना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रॉयल्टी वसूल नही की जा रही है और न ही x form लिए जा रहे है, जिसे अब नियमानुसार लिया जाएगा व रॉयल्टी को वसूल करके संबन्धित विभाग में जमा करवाया जाएगा व लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाएगा ।

अतः परामर्श दिया जाता है कि रॉयल्टी की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0 की कटौती न करने के कारण ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान करने बारे

हिमाचल प्रदेश जी0 एस0 टी0 अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि0प्र0 आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part-(278/25)-2950 दिनांक 28-09-2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति /फ़र्म /संस्था /स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (person/HUF/Firm/Local authority /govt. deductor) द्वारा संविदाकार संविदाकार व्यक्ति ,फ़र्म को सेवाएँ तथा वस्तुएँ प्रदान करने के बदले एक वित्तीय बर्ष में `250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1 %सी0जी0एस0टी0 +1% एस0जी0एस0टी0 –अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2%आई0जी0 एस0 टी0 – अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0की कटौती संबन्धित व्यक्ति/फ़र्म/संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबन्धित विभाग में जमा करवानी अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार संविदाकार/आपूर्तिकर्ता से भुगतान बिलों पर उपरोक्त अधिनियम के अनुसार स्त्रोत पर जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0 की कटौती नहीं की गयी थी जिसका विवरण निम्नानुसार है :

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	वॉउचर संख्या / दिनांक	बिल संख्या / दिनांक	मद का नाम	कार्य का नाम	शीर्ष	भुगतान की गई राशि	कटौती की दर	राशि
1	चामुंडाटिंबर इंडस्ट्री गाँव रामशीला नजदीक गेमोन पूल,कुल्लू	SDP/2023-24/P/7 दिनांक 06.11.2023	3900/03.11.2023	wooden panneling material	wooden panneling work at primary school hinsa	2515 BDO grant	331338.9	2.00%	6627
				कुल योग					**6627**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 301 दिनांक 13.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या GP TRILOKINATH 5 दिनांक 13.06.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि कि जीएसटी टीडीएस के रूप में कटौती न करने के कारण ठेकेदार को किए गए अधिक भुगतान की राशि को वसूल करके संबधित सरकारी विभाग में जमा करवा दिया जाएगा तथा अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

अतः कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.77 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं । परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वॉउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा बर्ष 2022-23 व 2023-24 में **₹276510/-** की निर्माण से समाबंधित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त बर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	बिल संख्या/दिनांक	वॉउचर संख्या	शीर्ष	आपूर्तिकर्ता	मद का नाम	भुगतान राशि
1	060/30.09.2022	XVFC/2022-23/P/6 dated 30.09.2022	15वां वित्त आयोग	कृष्णा एंटेरप्राइस गाँव रुयदु जिला कुल्लू	पेवर	48600
2	062/02.10.2022	XVFC/2022-23/P/6 dated 30.09.2022	15वां वित्त आयोग	कृष्णा एंटेरप्राइस गाँव रुयदु जिला	पेवर	48600

				कुल्लू		
3	064/04.10.2022	XVFC/2022-23/P/6 dated 30.09.2022	15वां वित्त आयोग	कृष्णा एंटेरप्राइस गाँव रुयदु जिला कुल्लू	पेवर	48600
4	065/04.10.2022	XVFC/2022-23/P/6 dated 30.09.2022	15वां वित्त आयोग	कृष्णा एंटेरप्राइस गाँव रुयदु जिला कुल्लू	पेवर	16200
5	379/10.08.2021	वॉउचर संख्या 01 दिनांक 09.04.2022	MMAGY	सोहल एंटरप्राइसेज गाँव व डाकघर उदयपुर जिला लाहौल स्पीति	प्लाई बोर्ड	63600
6	4485/01.08.2022	वॉउचर संख्या 5THSFC/2022-23/P/3 दिनांक 15.11.2022	सभा निधि	डिन्फोसिस केलांग जिला लाहौल स्पीति	cctv camera	39910
7	1061/18.09.2022	वॉउचर संख्या 5THSFC/2022-23/P/3 दिनांक 15.11.2022	सभा निधि	पुरोहित आर्ट्स & औटोमोबिल लोअर ढालपुर	inaurgration प्लेट	11000
कुल योग						**276510/-**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या% 299A दिनांक 13.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या GP TRILOKINATH 5 दिनांक 13.06.2024 को सचिव, ग्राम

पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि आपके द्वारा जारी अधियाचना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निविदा आमंत्रित किये विना सामान की अनियमित खरीद करी गयी थी, जो नियमानुसार सही प्रतीत नही होता ,जिसे अब आपके दिशा निर्देशों के तहत भविष्य में समान को निविदा आमंत्रित करते हुए नियमानुसार खरीद की जाएगी व अनुपालना करके लेखा परीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा उत्तर संतोषजनक नही था |

अतः परामर्श दिया जाता है की वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2022-23 व 2023-24 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जांच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. अनुदान शीर्ष (4515) से ₹0.36 लाख का अनियमित व संदिग्ध भुगतान ।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ की रोकड़ बही/**अनुदान शीर्ष (4515)** के बिल वॉउचरो की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य "निर्माण शिव मंदिर सराईं किशोरी" हेतु जारी मस्ट्रोल संख्या 2091 अवधि 01.09.2022 से 30.09.2022 द्वारा कुल 4 मजदूर कार्य हेतु लगाए गए थे, जिनकी कुल भुगतान योग्य राशि **₹51550 बनती थी**, मस्ट्रोल की जांच पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य हेतु जारी मस्ट्रोल की अदायगी RTGS के माध्यम से **₹51550 की** राशि को श्री कुल बहादुर के खाता संख्या 20064017603 के पक्ष में किया गया । कार्य में उपस्थित अन्य 3 मजदूरों की मजदूरी का भुगतान (51550-14850= 36700) **₹36700** भी श्री कुल बहादुर के पक्ष में कर दिया गया था । जोकि अनुचित व संदिग्ध भुगतान प्रतीत होता है तथा गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 303 दिनांक 13.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या GP TRILOKINATH 5 दिनांक 13.06.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करके अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा |

अत: उक्त अनियमित भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

13. गणना त्रुटि के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹0.16 लाख का अधिक व अनियमित भुगतान करने बारे

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ की 14वां वित्त आयोग की रोकड़ बही के वॉउचर संख्या 20 दिनांक 21.11.2022 की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता मनजीत कुमार को निर्माण सामग्री (रेत, बजरी व पत्थर) के लिए **₹38215** का भुगतान किया गया था परन्तु अंकेक्षण के दौरान गणना करने पर पाया गया कि आपूर्तिकर्ता को भुगतान की राशी ₹21251 बनती है जिसका निम्न विवरण अनुसार है :-

क्रम संख्या	वॉउचर संख्या	आपूर्तिकर्ता का नाम	निधि	कार्य का नाम	मद का नाम	बिल के अनुसार भुगतान राशि	वास्तविक भुगतान योग्य राशि	अन्तरकी राशि
1	20/21.11.2022	मनजीत कुमार	14वां वित्त आयोग	C/o Paver Path Village Kishori	रेत,बजरी व पत्थर	38215	21251	16964

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 304 दिनांक 13.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या GP TRILOKINATH 5 दिनांक 13.06.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करके अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा। अत: उक्त अधिक व अनियमित भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी वसूली की जाए व् कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14. मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 47(1) अनुसार प्रत्येक संदाय को, लेखो का उचित वर्गीकरण पूरी और सही विशिष्टियाँ बताने वाले वॉउचर द्वारा समर्थित किया जाएगा तथा हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 79(2)अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक (कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयो और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता को निर्माण सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) की आपूर्ति के लिए भुगतान किया गया था परंतु आपूर्तिकर्ता को भुगतान रसीद (प्रमाणक) के माध्यम से किया गया था जिसमे आपूर्ति की गई सामग्री का विवरण जैसे सामग्री कि मात्रा व सामग्री की दर को ही दर्शाया गया था ,परंतु ग्राम पंचायत द्वारा इन किए गए भुगतनों से सम्बन्धित मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके कारण भुगतान की गई राशि की सत्यता की जाँच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	**वॉउचर** संख्या/ दिनांक	शीर्ष/ आयोग	राशि
1.	18 दिनांक 07.11.2022	14^{TH} FC	57948
2.	19 दिनांक 19.11.2022	14^{TH} FC	44739
3.	20 दिनांक 21.11.2022	14^{TH} FC	38215
4.	21 दिनांक 23.11.2022	14^{TH} FC	18166
5.	P/17 दिनांक 30.11.2022	SDRF	48225
कुल योग			**207293/-**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या% 302 दिनांक 13.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या GP TRILOKINATH 5 दिनांक 13.06.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करके अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा |

अत: वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपिक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

15. भुगतान किये गए बिल्स पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित न करना व मस्टरोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वॉउचर के लिए नगद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि यह, यथास्थिति ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों

दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही करता।

ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पीति की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान पंचायत द्वारा किये गए भुगतानों से सम्बंधित वॉउचरो/ बिलो को ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त मस्टरोल के तहद की गई अदायगी को तकनिकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बंधित वार्ड पंच द्वारा भी अधिप्रमाणित नहीं किया गया था। नियमानुसार अदायगी आदेश धारित न करने तथा मस्टरोलों को तकनिकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बंधित वार्ड पंच द्वारा अधिप्रमाणित नहीं करने के अभाव में किये गए भुगतान अनियमित थे तथा इनकी प्रमाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तथा यह उपरोक्त नियमों के विरूद्ध था। अतः संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी नियमानुसार धारित न करना और मस्टरोलों को अधिप्रमाणित नहीं करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम के नियमो की स्पष्ट अवहेलना है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 300 दिनांक 13.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत त्रिलोकीनाथ के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या GP TRILOKINATH 5 दिनांक 13.06.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि आपके द्वारा जारी अधियाचना संख्या के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये गए बिलों पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित नहीं किए गए थे व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं किया गया था। जिसे अब आपके दिशा निर्देशों के तहत भविष्य में नियमानुसार अदायगी आदेश को अंकित करके व मस्ट्रोलों की भुगतान राशि को अधिप्रमाणित करके अनुपालना करके लेखा परीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण

किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

क्र. स.	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**सन्दर्भित नियम**
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	--	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	--	15(1)
5	वर्गीकृत सार	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
9	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
12	बिल रजिस्टर	13	48
13	सहायता अनुदान रजिस्टर, हि0प्र0 पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव करना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

17. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया

जाना अपेक्षित है। इस बारे में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में भी आपत्ति दर्शाई गयी थी परन्तु पंचायत द्वारा इस पर कोई कार्यवाई नहीं की गयी थी । परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18. **लघु आपति विवरणिका:-** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

19. **निष्कर्ष:-** लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

20 AUG 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 19/8/24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

4120 – 4124

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (8) 8/2016 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत त्रिलाकीनाथ, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

20 AUG 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 19/8/24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

परिशिष्ट -1 पैरा 4 लेखा के संलग्न है

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT TRILOKINATH BLOCK LAHUL DISTRICT LAHUL SAPITI PINCODE 175142

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	2238762.00	77156.00	2315918	63790.00	2252128.00

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK 2238762.00

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYTTRILOKINATH BLOCK LAHUL DISTRICT LAHUL SAPITI PINCODE 175142

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2023-24	2252128.00	72703.00	2324831	0.00	2324831

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK 2252128.00

परिशिष्ट-1 [illegible]

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP TRILOKINATH BLOCK LAHUL FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	5060593.00	179599.00	5240192.00	5240185.96	6.04
2	MGNREGA		2159170.40	2159170.40	2159170.40	0.00
3	CRF	110738.00	1424.00	112162.00	94244.00	17918.00
4	5TH FC	165000.00	319921.00	484921.00	184300	300621.00
5	VMJS		0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD		0.00	0.00	0.00	0.00
7	BDO GRANT (HEAD-4515)	700000.00	168000.00	868000.00	865378.00	2622.00
8	VKVNY	405000.00	487610.00	892610.00	846585	46025.00
9	SDRF	165000.00	4843946.00	5008946.00	3966980.00	1041966.00
10	MMAY		75000.00	75000.00	60000.00	15000.00
11	BDO GRANT (HEAD-2515)	154954.00	0.00	154954.00	0.00	154954.00
12	MMAGY	47908.00	100842.00	148750.00	147406.00	1344.00
13	SBM	177350.00	182624.00	359974.00	179974.00	180000.00
14	DC GRANT		0.00	0.00	0.00	0.00
15	DPO GRANT	1073530.00	0.00	1073530.00	830817.00	242713.00
16	15TH FC	2673330.00	1564469.00	4237799.00	981033.00	3256766.00
	TOTAL	**10733403.00**	**10082605.40**	**20816008.40**	**15556073.36**	**5259935.04**

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP TRILOKINATH BLOCK LAHUL FOR THE YEAR 2023-24

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	6.04	861.00	867.04	0.00	867.04
2	MGNREGA	0.00	1683326.40	1683326.40	1683326.40	0.00
3	CRF	17918.00	372.00	18290.00	18290.00	0.00
4	5TH FC	300621.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]					[illegible]

[illegible]

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP TRILOKINATH BLOCK LAHUL FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
				5240192.00	5240185.96	6.04
			170599.00			0.00

BANK DETAIL OF GP TRILOKINATH BLOCK LAHUL DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-22

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/5TH FC	KCCB UDAIPUR	20007337109	2119512.00
2	General/5TH FC	KCCB UDAIPUR	50069615844	584395.00
3	General	SBI UDAIPUR	11464862487	42904.88
4	General	KCCB UDAIPUR	50067116552	23120.00
5	VKVNY	KCCB UDAIPUR	50059681013	88615.00
6	SBM	KCCB UDAIPUR	50057952532	177350.00
7	CRF	KCCB UDAIPUR	50062218265	110738.00
8	MMAGY	KCCB UDAIPUR	50072819659	47908.00
9	14TH FC	KCCB UDAIPUR	50064613466	5060593.00
10	15THFC	PNB UDAIPUR	75000100011995	2711243.00
11	SDRF/VKVNY/4515/ DPO	KCCB UDAIPUR	50058408205	1992540.00
12	VKVNY	KCCB UDAIPUR	50059091578	51160.00
	CASH IN HAND			0.00
	TOTAL			13010078.88

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/5TH FC	KCCB UDAIPUR	20007337109	2351780.00
2	General/5TH FC	KCCB UDAIPUR	50069615844	601064.00
3	General	SBI UDAIPUR	11464862487	44078.88
4	General	KCCB UDAIPUR	50067116552	23779.00
5	VKVNY	KCCB UDAIPUR	50059681013	91143.00
6	SBM	KCCB UDAIPUR	50057952532	0.00
7	CRF	KCCB UDAIPUR	50062218265	17918.00
8	MMAGY	KCCB UDAIPUR	50072819659	1344.00
9	14TH FC	KCCB UDAIPUR	50064613466	0.04
10	15THFC	PNB UDAIPUR	75000100011995	3256766.00
11	SDRF/VKVNY/4515/ DPO	KCCB UDAIPUR	50058408205	1238786.00
12	VKVNY	KCCB UDAIPUR	50059091578	52620.00
	CASH IN HAND			0.00
	TOTAL			7679278.92

BANK DETAIL OF GP TRILOKINATH BLOCK LAHUL DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-24

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/5TH FC	KCCB UDAIPUR	20007337109	2428871.00
2	General/5TH FC	KCCB UDAIPUR	50069615844	609563.00
3	General	SBI UDAIPUR	11464862487	45279.88
4	General	KCCB UDAIPUR	50067116552	24503.00
5	VKVNY	KCCB UDAIPUR	50059681013	95072.00
6	SBM	KCCB UDAIPUR	50057952532	0.00
7	CRF	KCCB UDAIPUR	50062218265	0.00
8	MMAGY	KCCB UDAIPUR	50072819659	1384.00
9	14TH FC	KCCB UDAIPUR	50064613466	867.04
10	15THFC	PNB UDAIPUR	75000100011995	3102027.00
11	SDRF/VKVNY/4515/DPO	KCCB UDAIPUR	50058408205	1181695.00
12	VKVNY	KCCB UDAIPUR	50059091578	54222.00
CASH IN HAND				0.00
TOTAL				7543483.92

परिशिष्ट-ख पैरा 7क के संदर्भ में

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT TRILOKINATH BLOCK LAHUL DISTRICT LAHUL SAPITI

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	238	50	158825	11900	170725	0	170725

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT SISSU BLOCK LAHUL DISTRICT LAHUL SAPITI

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2023-24	243	50	170725	12150	182875	0	182875

Anexure "A" पैरा 9 ख के संदर्भ में

GP Triloknath

Years	Estimated works in MGNREGA Shelf	Work Done under MGNREGA shelf	difference between shelf and work done	No. of Job Card (H.H.)	No. Of HH work Demanded	No. of HH Work Provided	Mandays during the Year	HH Provided 100/120 Days	Mandays Regardeing MGNREGA	Lack Of mandays during the years
2022-23	121	26	95	248	147	147	4937	18	5360	423
2023-24	119	17	112	248	126	126	6043	6	5218	825

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत T/Nath
वि.ख. लाहौल
जिला लाहौल-स्पीति (हि०प्र०)

Annexure "B" पैरा "10क" के संदर्भ में

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	वाउचर संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	रॉयल्टी प्रति मीट्रिक टन	दर	राशि
1	अजित गाँव हिंसा डाकघर त्रिलोकीनाथ	SDP/2022-23/P/17 दिनांक 30.11.2022	रेत	9855	6.57	1.62	10.64	80	851.47
2	अजित गाँव हिंसा डाकघर त्रिलोकीनाथ	SDP/2022-23/P/17 दिनांक 30.11.2022	बजरी	13950	5.58	1.52	8.48	80	678.53
3	अजित गाँव हिंसा डाकघर त्रिलोकीनाथ	SDP/2022-23/P/17 दिनांक 30.11.2022	पत्थर	24420	13.20	2.24	29.57	80	2365.44
4	बिल में नाम दर्ज नहीं	वाउचर संख्या 18 दिनांक 07.11.2022	रेत	28260	18.84	1.62	30.52	80	2441.66
5	बिल में नाम दर्ज नहीं	वाउचर संख्या 18 दिनांक 07.11.2022	बजरी	27272	9.74	1.52	14.80	80	1184.38
6	बिल में नाम दर्ज नहीं	वाउचर संख्या 18 दिनांक 07.11.2022	पत्थर	2416	3.02	2.24	6.76	80	541.18
7	बिल में नाम दर्ज नहीं	वाउचर संख्या 19 दिनांक 19.11.2022	रेत	7632	4.77	1.62	7.73	80	618.19
8	बिल में नाम दर्ज नहीं	वाउचर संख्या 19 दिनांक 19.11.2022	बजरी	22575	9.03	1.52	13.73	80	1098.05
9	बिल में नाम दर्ज नहीं	वाउचर संख्या 19 दिनांक 19.11.2022	पत्थर	14532	12.11	2.24	27.13	80	2170.11
10	मनजीत कुमार	वाउचर संख्या 20 दिनांक 21.11.22	रेत	3816	4.77	1.62	7.73	80	618.19
11	मनजीत कुमार	वाउचर संख्या 20 दिनांक 21.11.22	बजरी	9297	3.33	1.52	5.06	80	404.93
12	मनजीत कुमार	वाउचर संख्या 20 दिनांक 21.11.22	बजरी	2597	4.79	1.52	7.28	80	582.46
13	मनजीत कुमार	वाउचर संख्या 20 दिनांक 21.11.22	पत्थर	5600	11.20	2.24	25.09	80	2007.04
14	बिल में नाम दर्ज नहीं	वाउचर संख्या 21 दिनांक 23.11.22	रेत	16864	10.54	1.62	17.07	80	1365.98
15	बिल में नाम दर्ज नहीं	वाउचर संख्या 21 दिनांक 23.11.22	बजरी	3456	1.28	1.52	1.95	80	155.65
16	बिल में नाम दर्ज नहीं	वाउचर संख्या 21 दिनांक 23.11.22	पत्थर	32400	18.00	2.24	40.32	80	3225.60
									20308.88

T/Nath